न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 299/2018

प्रार्थीगणः–

1 गणपतलाल पुत्र बस्तीराम
2 चम्पालाल पुत्र देवाराम
3 लक्ष्मी देवी पुत्री नाथुराम
4 विजय देवी पुत्री नाथुराम
5 अशोक पुत्र नेमीचन्द जातियान माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)
6 सुभाष कुमार पुत्र मुरलीधर जातियान सोनी निवासीगण एफ 62 औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. कन्हैयालाल पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी खारीया नींव तहसील सोजत
2. चम्पा देवी पत्नी बालुराम जाति राईका निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत
3. तहसीलदार(भूमिधारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 26.10.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बासनी मुथा पटवार हल्का आलावास तह0 सोजत जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 36 रकबा 5.2500 हैक्टर की कृषि जोत सें नया मार्ग हमारे खातेदारी खसरा नंबर 35 रकबा 5.2500 हैक्टर मौजा बासनी मुथा मे जाने हेतु आशय रखते है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' की उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिए न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 35 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 36 मे से 30 फीट चौड़ा रास्ता जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। उस रास्ते को कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 35 में पहुॅच हेतु अन्य कोई विकल्प रास्ता नही है तथा मुख्य सड़क खसरा संख्या 36 से निकटतम रास्ता प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में काश्त करने मे असुविधा उत्पन्न होती है। प्रार्थीगण रास्ते के एवज मे अप्रार्थीगण को नियमानुसार राशि उपलब्ध कराने को तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित लाल रंग से दर्शित भूमि

खसरा नंबर 36 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को खसरा संख्या 35 तक आवागमन हेतु उपलब्ध करवाये जाने तथा राजस्व रेकर्ड व राजस्व ट्रेस नक्शे मे तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 09.10.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सख्या 03 तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित हुए पृथक से जबाब पेश करना नहीं चाहने से जबाब बन्द किया गया। पत्रांक/कोर्ट/19/545–546 दिनांक 25.07.2019 तथा स्मरण पत्र कोर्ट/20/64 दिनांक 14.10.2019 द्वारा वास्ते जबाव तहसीलदार सोजत तथा उप पंजीयक सोजत से तहरीर जारी कर वांछित तीनो बिन्दुओं पर मौके की वर्तमान मौका रिपोर्ट तथा डी.एल.सी. दर व भूमि प्रतिकर गणना की सम्पूर्ण सूचना मंगवाई गई। तहसीलदार सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/केम्प/257 दिनांक 25.10.2021 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 25.10.2021 मय नजरी नक्शें में अंकित किया, कि उक्त जॉच हमराह भू0अभि0 निरीक्षक सोजत रोड़, मय पटवारी हल्का आलावास तथा मौतबिरान के साथ ग्राम बासनी मुथा के ख0न0 35, 36 का मौका निरीक्षण किया अर्थात् प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 35 का मौका निरीक्षण किया गया। खसरा नंबर 35 मे जाने के लिए खसरा नंबर 39 रकबा 0.2700 किस्म गै0मु0 रास्ता उकिया देवी पत्नि गणपतलाल घांची 3/8 ईन्द्रा देवी पत्नि राजाराम घांची 3/8 कन्हैयालाल ओझा पुत्र देवीलाल ओझा 1/4 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा नंबर 36 में रकबा 5.20 किस्म बंजड़, जा0सो0 खातेदारी में रास्ता ख0नं0 35 में जाने हेतु चाहा है। ख0न0 39 राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है। जो अन्य काश्तकारी की खातेदारी दर्ज है। ख0न0 36 रकबा 5.20 है0 में से 10 मीटर लम्बाई × 4 मीटर चौडाई = 40 वर्गमी0 अर्थात् 0.0040 है0 रास्ता चाहा है। जिसके वर्तमान में कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। राजस्व रेकर्ड नक्शा मौका जांच की गई। मौके पर 35 में जाने हेतु नजदीकी कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। जिससे प्रा0 पत्र में प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के रूप में ख0न0 36 में से होते हुए मांग की गई है जो कि संलग्न नजरी नक्शानुसार लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त भूमि खसरा नंबर 36 में से 10 मीटर लम्बाई × 4 मीटर चौडाई में दिया जाना प्रस्तावित किया है। जिसका रकबा क्रमशः 0.0040 हैक्टर है। सब रजिस्ट्रार सोजत ने प्रस्तावित प्रार्थित रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 335340/– रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना। पत्रावली अर्थात् प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजत तथा तहसीलदार, सोजत मय नजरी नक्शा लाल स्याही मौका रिपोर्टादि एवं डी0एल0सी0 दर का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार

"1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 36 रकबा 5.2500 हैक्टर में से (लम्बाई 10 मीटर × चौड़ाई 04 मीटर = 0.0040 हैक्टर) होकर पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थित रास्ते की भूमि डी0एल0सी0 की दर की दौ गुना प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने तथा रास्ते की भूमि आवागमन हेतु प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बासनी मुथा पटवार हल्का आलवास तह0 सोजत जिला पाली खसरा नम्बर 35 रकबा 5.2500 हैक्टर की प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं रहवास उपयोग, उपभोग हेतु अर्थात् आवागमन आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 36 रकबा 5.2500 हैक्टर भूमि मे से क्रमशः 10 मीटर **x** 4 मीटर = 40 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0040 हैक्टर रास्ता दिया जाता है। जिसकी डीएल सी दर के हिसाब से 40 वर्ग मीटर अर्थात (0.0040 हैक्टर **x** 335340/–रू0 **x2** = **2683** रूपये) अक्षरे छः हजार छः सो तैरासी रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	36 ज0सो0 बंजड़	5.2000	कन्हैयालाल पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण	10 मीटर **x** 4 मीटर = 40 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0040 हैक्टर	1677.00
2			चम्पा देवी पत्नी बालुराम जाति राईका निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत		1006.00
			योग :–	0.0040 है0	**2683.00**

तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट

मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – रेन्दड़ी

यह निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, शिविर ग्राम पंचायत रेन्दड़ी में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर मजमे आम सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – रेन्दड़ी